

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

मुकाम छतरगढ़

सरकार



बनाम

ग्राम कुण्डा

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र  
धारा 136 LRA

नंबर...14...

सन - 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अन्तर्गत जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2021	<p>यह राजस्व प्रार्थना पत्र सरकार जरिये तहसीलदार छतरगढ़ द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम कुण्डा पटवार मण्डल कुण्डा के खसरा नम्बर 35 में रकबा 1647.17 बीघा बारानी में विभिन्न खातों के विभाजित खसरें अनुसार मौके पर सही काबिज नहीं होने के कारण मूल खसरें में सभी खातों के खसरों की तरमीम नहीं किये जाने के कारण एकल खाता (संयुक्त खाता) किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 12.02.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़</p>	
12.02.2021	<p>पत्रावली पेश हुई तहसीलदार भू.अ. छतरगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी, आई एल आर की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार भू.अ. छतरगढ़ की अनुशंषा पर विभाजित खातें/खसरों को डी.आई.एल.आर.एम.पी. कार्य को पूर्ण करने के तहत खाते/खसरों को तरमीम न हो पाने के कारण ऑनलाईन स्तर पर एकल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो बाद ऑनलाईन के विभाजन के जरिये तरमीम करवाई जा सकेगी।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ (वीकानेर)</p>	

